राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 316/2012/जोधपुर

मैसर्स जे.डी.टिम्बर ट्रेडर्स.
जोधपुर अपीलीर्थी

बनाम

1.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट द्वितीय, वृत–डी, जोधपुर
2.उपायुक्त(अपील्स)प्रथम
जोधपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 11.01.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स)–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील आवेदन प्रवेश पंजीयन क्रमांक 27/जेयूडी/ में पारित आदेश दिनांक 24.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकर हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.05.2011 को प्रपत्र वैट–27 में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण दिनरांक 29.11.2010 को किया गया था, जो अपीलार्थी को दिनांक 7.12.2010 को तामील कराया जाना अपीलार्थी द्वारा वैट–27 में दर्शाया गया है । अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत 60 दिवस में अर्थात् 29.01.2011 तक अपील प्रस्तुत करने का समय था किन्तु अपीलार्थी द्वारा 96 दिवस देरी से दिनांक 04.05.2011 को अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 96 दिवस के विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आवेदन को कालातीत मानते हए अस्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश नियम विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में रू. 25,000/–प्राप्ति का चालान दिनांक 24.06.2011 के साथ सभी तथ्यों के साथ अपील विलम्ब से प्रस्तुत कारणों के साथ अपीलीय अधिकारी के चेम्बर में उपस्थित हुआ था

किन्तु उचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा टर्नओवर के सभी रिटर्नस मय दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्तुत किये गये है फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज एंव शास्ति का आरोपण किया है, जो अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा 96 दिवस के विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के कारणों का कोई युक्तियुक्त कारण अथवा दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नही किये गये हैं जबकि उन्हें कर निर्धारण आदेश सही समय पर प्राप्त हो गया था। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया है, जो पूर्णतया उचित है। उन्होनें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 07.12.2010 को कर निर्धारण आदेश तामील कराया गया था। उक्तानुसार अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत 60 दिवस अर्थात् दिनांक 29.01.2011 तक अपील प्रस्तुत करने का समय था किन्तु उसके द्वारा दिनांक 04.05.2011 को यानी 96 दिवस के विलम्ब से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई उचित कारण उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने अपील आवेदन को कालातीत होना मानते हुए अपील आवेदन अस्वीकार किया है। किन्तु बहस के दौरान यह कथन किया गया है कि विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने हेतु अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी के चेम्बर में उपस्थित हुआ था और अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण "The son of the dealer was unwell and also re-opening proceeding are reasons for delayed" बताया था, परन्तु unwell के सम्बन्ध में को दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं कर बोर्ड स्तर पर की गई बहस को ध्यान में रखते हुए यह उजागर होता है कि डीलर अपने पुत्र की गम्भीर बीमारी के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। आम तौर पर व्यक्ति के बीमार होने पर चिकित्सक के परामर्श से इलाज करवाते हैं लेकिन आम मनुष्य व्यस्तता के कारण कोई भी चिकित्सक से रोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है क्योंकि उन्हें किसी से अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये

बिना ही अपील आवेदन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हेए विलम्ब को क्षम्य कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2011 को अपास्त करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के अपील आवेदन को ग्राह्य कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपील के गुणावगुण पर विचार करते हुए न्याय संगत एवं विधिक आदेश पारित करें।

फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य